न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 421 सन 2019

अनवान :–

1. कनीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. पतराम पुत्र माटोराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
2. दलीप 3 ओमप्रकाश 4 बेगाराम उर्फ बेगराज 5 दुलाराम पि0 पतराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. चन्दोदेवी 7 राजादेवी 8 रेशमादेवी 9 शान्तिदेवी पुत्रीयान पतराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24/07/2019

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवानसर के खाता सख्या 96/145 के खसरा न0 243/1 की 2.28910हैक खसरा न0 340/1 की 6.2470हैक खसरा न0 343/1 की 1.5940हैक खसरा न0 527/1 की 3.3130हैक खसरा न0 528 की 1.9100हैक खसरा न0 563/1 की 2.7440हैक खसरा न0 576/0.3160हैक कुल 18.4130हैक भूमि जिसमें पतराम पुत्र मोटाराम का सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एव रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता सख्या 52/145 के खसरा न0 158/1 की 2.8960हैक भूमि पतराम पुत्र मोटाराम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपरोक्त भूमि पूर्व मे वादी के दादा मोटाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मोटाराम के देहान्त होने के बाद उनके पुत्रगणो पर औद हुई है जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर वादी के पिता प्रतिवादी सख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा भगवानसर के खाता सख्या 96/145 की कुल 18.4130हैक एव रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता सख्या 52/145 की 2.8960हैक भूमि आई है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है।

उक्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सख्या 1 को विरास्तन से प्राप्त होकर बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है अर्थात पैतृक सम्पति है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी सख्या 6 ता 9 वादी व प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 की बहने एवं प्रतिवादी सख्या 1 की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष मे त्याग /तर्क किया हुआ है तथा प्रतिवादी सख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वाद भूमि का प्रतिवादी सख्या 1 व 6 ता 9 के हकत्याग करने के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जिसके अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता सख्या 96/145 की कुल 18.4130हैक मे सयुक्त तौर से प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा मे वादी अकेला 3.1625हैक व प्रतिवादी सख्या 2 अकेला 1.441हैक के खातेदार काश्तकार रहेगे एव बास नाथोवाला के खाता सख्या 52/145 की कुल 2.8960हैक भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादी सख्या 2 अकेला 0.3445हैक व प्रतिवादी सख्या 3 अकेला 0.1265हैक व प्रतिवादी सख्या 4 अकेला 0.253हैक भूमि का काश्तकार है इसी अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 भूमि काश्त करते आ रहे है

वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी सख्या 2 ता 9 के हको का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 को कई दफा कहाँ की वादी के हकों की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु कहाँ तो प्रतिवादी कुछ दिनो तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु बाद मे ईन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम मुताबिक बाहमी बटवारा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमे वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा मैने (प्रतिवादी संख्या 1) ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 जो वादी की बहने है ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया के पक्ष मे त्याग किया हुआ है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बाहमी बटवारा हो चुका है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एव प्रतिवादी संख्या 10 पेराकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि भूमि पूर्व मे वादी के दादा मोटाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मोटाराम के देहान्त होने के बाद उनके पुत्रगणो पर ओद हुई है जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे रोही मोजा भगवानसर के खाता संख्या 96/145 की कुल 18.4130हैव एवं रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता संख्या 52/145 की 2.8960हैव भूमि आई है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है।

उक्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन से प्राप्त होकर बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है अर्थात पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की बहने एव प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों के पक्ष मे त्याग /तर्क किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वाद भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ता 9 के हकत्याग करने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जिसके अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 96/145 की कुल 18.4130हैव में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दज 1/4 हिस्सा मे वादी अकेला 3.1625हैव व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.441हैव के खातेदार काश्तकार रहेगे एव बास नाथोवाला के खाता संख्या 52/145 की कुल 2.8960हैव भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.3445हैव व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.1265हैव व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.253हैव भूमि का काश्तकार है इसी अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 भूमि काश्त करते आ रहे है

वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के हको का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस मे अपने जबाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता पतराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012 रोही मौजा भगवानसर के अनुसार वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा मौटाराम पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मोटाराम पुत्र बस्ती का देहान्त

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

होने के बाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णत्या साबित है

उपरोक्त रिकार्ड से साबित है कि वादी के दादा मोटाराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता एवं उसके भाईयों अर्थात मोटाराम के पुत्रों के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पोता/पोतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के कथन है कि वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है काश्त करने की क्षमता नही होने के कारण वादी के पिता ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा मैने (प्रतिवादी सख्या 1) ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 जो वादी की बहने है ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बाहमी बटवारा हो चुका है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर पैतृक सम्पति साबित होने के कारण एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 96/145 की कुल 18.4130हैक में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में वादी अकेला 3.1625हैक व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.441हैक के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं बास नाथोवाला के खाता संख्या 52/145 की कुल 2.8960हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.3445हैक व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.1265हैक व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.253हैक भूमि का काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/7/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आदेश 20, रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत — सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. कनीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. पतराम पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
2. दलीप 3 ओमप्रकाश 4 बगाराम उर्फ बगराज 5 दुलाराम पि0 पतराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. चन्दोदेवी 7 राजादेवी 8 रेशमादेवी 9 शान्तिदेवी पुत्रीयान पतराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 421 सन 2019 निर्णय दिनांक– 24/7/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है सही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 96/145 की कुल 18.4130हैक्ट में संयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में वादी अकेला 3.1625हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.441हैक्ट के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं बारा नाथोवाला के खाता संख्या 52/145 की कुल 2.8960हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.3445हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.1265हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.253हैक्ट भूमि का काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजान किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner